तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के मध्यनजर एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच, जयपुर के द्वारा जारी उक्त वर्णित नजीर के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार का कोई सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे विवादित सम्पति प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति साबित हो तथा प्रार्थीगण द्वारा संबंधित वाद एवं हस्तगत प्रा० पत्र T.I. में जो सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है वह भी विवादित है जिस बाबत दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि सहवन/भूलवश सजरा खानदान गलत दर्ज हो गया।
	अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी बाबत विवादित अप्रार्थीगण पक्षकारों के विरुद्ध प्राप्त की गयी एकपक्षीय स्थगन आदेश की कार्यवाही को ओर आगे चलाये जाने को न्यायालय हाजा न्यायसंगत प्रतीत नहीं समझती। विवादित पक्षकारान के मध्य मूल विवादों का निर्धारण मूल वादपत्र में बाद तहजु सुनवाई गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त एकपक्षीय स्थगन आदेश को ओर आगे चलाने का कोई औचित्य न्यायसंगत रूप से प्रतीत नहीं होता है। अतः हस्तगत प्रा० पत्र T.I. इसी स्तर पर सम्बन्धित मूल वाद पत्र

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
के गुणावगुण पर निस्तारण के परिपेक्ष्य में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 16/3/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित जारी कर सुनाया गया।	
(राकेश कुमार) RAS सहायक कलक्टर (F.T.) (फास्ट ट्रैक) खण्डेला खण्डेला (सीकर)	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला (सीकर)

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला